आ०प्र०/२०२६/४०
२०/०८/२६
६१७

# बिहार सरकार,
## कृषि विभाग

पत्र सं० –27/DoH/SS/21/2026 -पी०पी०एम० - 33 - / कृ०, पटना दिनांक -03.07.2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

**महालेखाकार, बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बीज मसाले धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 480.00 लाख (चार करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बीज मसाले धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 480.00 लाख (चार करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को चिन्हित् बीज मसाले यथा– धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन के औषधीय एंव पौष्टिक गुणों को ध्यान में रखते हुये उसकी खेती के कुल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. योजना का भौतिक आकार अनुसूची–1 के अनुरूप कुल 480.00 लाख (चार करोड़ अस्सी लाख) रूपये की है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन वासंतिक (रबी मौसम) में अनुसूची–02 के अनुसार धनिया फसल राज्य के सभी जिलों में, मेथी फसल किशनगंज एवं शेखपुरा को छोड़कर 36 जिलों, सौंफ फसल राज्य के 04 जिलों यथा–बेगूसराय, जहानाबाद, समस्तीपुर एवं पटना में, मंगरैल फसल राज्य के 03 जिलों यथा–नालंदा, नवादा एवं औरंगाबाद में तथा अजवाइन फसल राज्य के 04 जिलों यथा–बेगूसराय, नवादा, पटना एवं रोहतास में किया जायेगा।

5. यह अनुदान की योजना है, इसमें मानव दिवस का सृजन संभावित नहीं है।

6. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के ऑपरेशनल गाईडलाइन, 2025 के अन्तर्गत बीज मसाला फसलों हेतु लागत 50,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, जिसका 40 प्रतिशत अर्थात् 20,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिये इनपुट उपादानों हेतु फसल के भौतिक सत्यापन पश्चात्, एक किस्त में अनुदान दिया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा MIDH योजना में चिन्हित राष्ट्रीय स्तर के बीज प्रतिष्ठानों से योजनान्तर्गत बीज मसाले का प्रमाणित/सत्यापित बीज (Certified/Truthfully Labelled Seed) संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. बीज मसाले की खेती करने वाले भूमिहीन कृषकों को, एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10 हे०) तथा अधिकतम 5.0 एकड़ (2.00 हे०) तक कृषकों को दिया जायेगा।

9. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आवेदन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत कृषकों का चयन ''पहले आओ

D:\Surya 2026-27\Amit Kumar\Sanction letter\Seed Spices 2026-27 (480.00).doc

पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा। गैर–रैयत कृषक द्वारा भी संलग्न अनुसूची–4 के विहित प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए योजनान्तर्गत लाभ लिया जा सकता है।

10. योजनान्तर्गत प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा शत्–प्रतिशत, जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत तथा प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान द्वारा 02 प्रतिशत जियो टैग्ड भौतिक सत्यापन किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन क्लस्टर में कराया जायेगा तथा क्लस्टर का आकार 25 हेक्टेयर का होगा।

11. संबंधित जिलों के जिला उद्यान पदाधिकारियों द्वारा क्लस्टर हेतु क्षेत्र का चयन किया जायेगा तथा क्लस्टर में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु उक्त जिला उद्यान पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS-2.0 के माध्यम से संबंधित किसानों को DBT in Kind/ DBT in Cash के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

13. उद्यान विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु उपबंधित राशि का उपयोग अन्य योजनाओं में स्वीकृत होने तथा अनुसूचित जनजाति मद में उपबंधित राशि शून्य होने के कारण इस योजना की राशि का व्यय सामान्य श्रेणी मद से किया जायेगा। योजनान्तर्गत सभी श्रेणी के लाभुकों का चयन किया जायेगा, जिसमें 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

14. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जायेगा।

15. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। निदेशक, उद्यान समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।

17. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

| | बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| (i) | मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, मांग सं०–01, उपशीर्ष–0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड–01–2401001190101, विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी। | 11578.00 | 480.00 |
| (ii) | मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–01, उपशीर्ष–0130, उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड–01–2401007890130, विषय शीर्ष–0130.33.01, सब्सिडी। | 2240.00 | 0.00 |
| (iii) | मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–01, उपशीर्ष–0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड–01–2401007960152, विषय शीर्ष–0152.33.01, सब्सिडी। | 0.00 | 0.00 |
| | योग | **13818.00** | **480.00** |

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201/वि0 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर दिनांक–15.06.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। तदोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–343/वि0 दिनांक–09.04.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–24.06.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–27/DoH/SS/21/2026 के पृ0सं0–21/टि0 पर दिनांक–02.07.2026 को प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 27/DoH/SS/21/2026 के पृ०सं०–20/टि० पर दिनांक–01.07.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–434 दिनांक–01.07.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/21/2026 –पी०पी०एम०–33–/कृ०, पटना, दिनांक – 03.07 ,2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/21/2026–पी०पी०एम०–33–/कृ०, पटना, दिनांक – 03.07 ,2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/21/2026 –पी०पी०एम०–33–/कृ०, पटना, दिनांक – 03.07 ,2026

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/18/2026 –पी०पी०एम०–33–/कृ०, पटना, दिनांक – 03.07 ,2026

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/21/2026–पी०पी०एम०–33–/कृ०, पटना, दिनांक – 03.07 ,2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/21/2026 - पी॰पी॰एम॰-337/कृ०, पटना, दिनांक - 03.07 ,2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(96)

56

## अनुसूची – 1

### राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बीज मसाले (धनिया/मेथी/सौंफ/मंगरैल/अजवाइन) की योजना का वार्षिक कार्य योजना

| क्र० सं० | अवयव | इकाई लागत (लाख रू० में) | अनुदान प्रतिशत | अनुदान की राशि (लाख रू० में) | भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में) | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | धनिया | 0.50/हे० | 40% | 0.20 | 1200 | 240.00000 |
| 2 | मेथी | 0.50/हे० | 40% | 0.20 | 900 | 180.00000 |
| 3 | सौंफ | 0.50/हे० | 40% | 0.20 | 100 | 20.00000 |
| 4 | मंगरैल | 0.50/हे० | 40% | 0.20 | 100 | 20.00000 |
| 5 | अजवाइन | 0.50/हे० | 40% | 0.20 | 100 | 20.00000 |
| कुल योग | | | | | **2400** | **480.00000** |

(चार करोड़ अस्सी लाख रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)

(45)

55

अनुसूची – 2

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बीज मसाले (धनिया/मेथी/सौंफ/मंगरैल/अजवाइन) की योजना से संबंधित
जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(भौतिक लक्ष्य हेक्टेयर में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रूपये में)

| क्र० सं० | जिला का नाम | धनिया | | मेथी | | सौंफ | | मंगरैल | | अजवाइन | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | अररिया | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 2 | अरवल | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 3 | औरंगाबाद | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 100 | 20.00000 |
| 4 | बाँका | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 5 | बेगूसराय | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 | 125 | 25.00000 |
| 6 | भागलपुर | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 75 | 15.00000 |
| 7 | भोजपुर | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 8 | बक्सर | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 9 | दरभंगा | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 10 | पूर्वी चम्पारण | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 11 | गयाजी | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 75 | 15.00000 |
| 12 | गोपालगंज | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 75 | 15.00000 |
| 13 | जमुई | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 14 | जहानाबाद | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 75 | 15.00000 |
| 15 | कैमूर | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 16 | कटिहार | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 17 | खगड़िया | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 18 | किशनगंज | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 |
| 19 | लखीसराय | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 20 | मधेपुरा | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 21 | मधुबनी | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 22 | मुंगेर | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 23 | मुजफ्फरपुर | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 24 | नालन्दा | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 | 0 | 0.00000 | 125 | 25.00000 |
| 25 | नवादा | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 125 | 25.00000 |
| 26 | पटना | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 | 125 | 25.00000 |
| 27 | पूर्णिया | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 28 | रोहतास | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 | 75 | 15.00000 |
| 29 | सहरसा | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 30 | समस्तीपुर | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 100 | 20.00000 |
| 31 | सारण | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 32 | शेखपुरा | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 25 | 5.00000 |
| 33 | शिवहर | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 34 | सीतामढ़ी | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 35 | सिवान | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 36 | सुपौल | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| 37 | वैशाली | 50 | 10.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 75 | 15.00000 |
| 38 | पश्चिमी चम्पारण | 25 | 5.00000 | 25 | 5.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 50 | 10.00000 |
| | **कुल योग** | **1200** | **240.00000** | **900** | **180.00000** | **100** | **20.00000** | **100** | **20.00000** | **100** | **20.00000** | **2400** | **480.00000** |

(चार करोड़ अस्सी लाख रूपये मात्र)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)

(95) 59

## अनुसूची – 3

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026–27 में बीज मसाले (धनिया/मेथी/सौंफ/मंगरैल/अजवाइन) की योजना के तहत् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (राशि लाख रू० में)

| क्र० सं० | जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | सामान्य जाति (@100%) | अनुसूचित जाति (@0.00%) | अनुसूचित जनजाति (@0.00%) | कुल वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 2 | जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 3 | जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | 20.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20.00000 |
| 4 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 5 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 |
| 6 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 |
| 7 | जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 8 | जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 9 | जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 10 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 11 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गयाजी | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 |
| 12 | जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 |
| 13 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 14 | जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 |
| 15 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 16 | जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 17 | जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 18 | जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 |
| 19 | जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 20 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 21 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 22 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 23 | जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 24 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 |
| 25 | जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 |
| 26 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 |
| 27 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णिया | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 28 | जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 |
| 29 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 30 | जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 20.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20.00000 |
| 31 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 32 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 |
| 33 | जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 34 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 35 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सिवान | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 36 | जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| 37 | जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 |
| 38 | जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 |
| | **कुल योग** | **480.00000** | **0.00000** | **0.00000** | **480.00000** |

**(चार करोड़ अस्सी लाख रूपये मात्र)**

**पवन कुमार**

निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)

(93)
53

# अनुसूची–4

## कृषि विभाग
## उद्यान निदेशालय, बिहार।
## बीज मसाले (धनिया/मेथी/सौंफ/मंगरैल/अजवाइन) की योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)
## (विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै..............................................................पिता/पति..................................................................................... ग्राम................................................पोस्ट...........................................पंचायत........................................... प्रखंड.................................जिला................................का निवासी हूँ। मैंने बीज मसाले यथा– धनिया/मेथी/सौंफ/मंगरैल/अजवाइन की खेती हेतु कृषक श्री............................................................. पिता/पति.................................................................ग्राम..............................पोस्ट............................... पंचायत.........................................प्रखंड..................................................जिला.................................. से खाता संख्या.........................खेसरा संख्या.......................रकवा..................जमीन बटाई/पट्टा पर प्राप्त किया है।
2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर बीज मसाले यथा– धनिया/मेथी/सौंफ/मंगरैल/अजवाइन की खेती की जायेगी।
3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबावदेही मेरी होगी, तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

**कृषक का हस्ताक्षर**

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर (मोबाईल नं० सहित)

1 गवाह का नाम एवं पता — हस्ताक्षर

............................................ ........................

............................................

2 गवाह का नाम एवं पता — हस्ताक्षर

............................................ ........................

............................................

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)